

**प्रेषक,**

जनसूचना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी,  
कक्ष संख्या-404  
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।  
दूरभाष संख्या-0522-2724945

**सेवा में,**

Mr. Yogi M P Singh,  
Mohalla Surekapuram, Jabalpur Road, Sangmohal post office, Pin:231001

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

**महोदय,**


सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को संबोधित (क्रमांक आरटीआई-UPICM/R/2024/60195 पर पंजीकृत) आप अपने आनलाइन आवेदन दिनांक: 24.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप द्वारा मांगी गयी सूचना दी जाती है, जो निम्नवत है:

Sought information	Information
1- Please provide the CD/compact disc of the hearing took place in Court S-9 in the Uttar Pradesh state information commission on 25th April 2025 from time 12:30 PM to 2:30 PM.	उक्त बिन्दु में सूचना जिस रूप में चाही गई है, उस रूप में सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त बिन्दु की सूचना दिया जाना संभव नहीं है। सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रथम संशोधन नियमावली 2019 के नियम 4 (2)(ख)(एक) में यह प्राविधानित है कि "मांगी गई सूचना: में ऐसे अनुपलब्ध ऑकड़ों का नया संग्रह किया जाना अर्न्तवलिप्त नहीं होना चाहिए जिनको अनुरक्षित किया जाना किसी विधि अथवा लोक प्राधिकरण के किन्ही नियमों, विनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है।"
2- Please provide the details of the agency/firm/department/company which manages the online hearing of Uttar Pradesh state information commission and provide mechanism to collect the data.	ऑनलाइन सुनवाई निर्धारित माइक्रोसाफ्ट टीम्स मीटिंग के माध्यम से सम्बन्धित सुनवाई कक्षाओं द्वारा की जाती है। मीटिंग लिंक सम्बन्धित पक्षकारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर CATS-UPSIC SOFTWARE के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिसे ई-फाईलिंग के लिए विकसित किया गया है और आयोग द्वारा प्रवन्धित किया जाता है।
3- Please provide the span of time to preserve the court proceedings data from the online hearing.	बिन्दु संख्या-1 के अनुसार।
4- Please provide the copy of the rule framed by the government of Uttar Pradesh making compulsory to invite the submissions of information seekers and appellants in Hindi. If any bylaws, circular, office memo, guideline or advisory available to the commission about it then provided it.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं उ० प्र० सूचना का अधिकार नियमावली-2015 (प्रथम संशोधन) 2019 में सुलभ है।
5- Presiding officer asked the information seeker that his objection is in two pages so she will dismiss it. Please provide bylaws, circular, office memo, guideline, advisory and Govt order available to the commission about it.	उक्त बिन्दु की सूचना काल्पनिक श्रेणी की है सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रथम संशोधन नियमावली 2019 के नियम 4 (2)(ख)(तीन) में यह

	<p>प्राविधानित है कि "माँगी गई सूचना: में काल्पनिम प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए।</p>
<p>6- Please provide the provision of law available to the Uttar Pradesh Information Commission which does not allow argument between public information officers and appellants.</p>	<p>बिन्दु संख्या-4 के अनुसार।</p>

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप संबंधित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन 30 दिन के भीतर प्रथम अपील कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत है:-

श्री तेजस्कर पाण्डेय,  
 उपसचिव, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग,  
 कक्ष सं0-410, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010  
 दूरभाष संख्या-0522-2724941  
 सलग्नक: यथोपरि।



(मुमताज अहमद)  
 राज्य लोक सूचना अधिकारी